

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक A/4987 /

जबलपुर, दिनांक 21/11 /2025

II-15-2/79 Pt- IX

श्री बालेन्द्र कुमार वरकड़े, ज्यूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 19.06.2025 को एक जीवित पुत्र के उपरांत पत्नि का एल.टी.टी. ऑपरेशन कराये जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, क्रमांक सी-3-11/2016/1/3 भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2017 के कंडिका 1 के अनुसार दो अग्रिम वेतनवृद्धि स्वीकृत की जाती है।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

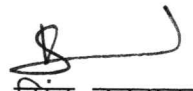
पृ० क्रमांक A/4988 /

जबलपुर, दिनांक 21/11 /2025

II-15-2/79 Pt-IX

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (प्रशा.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री बालेन्द्र कुमार वरकड़े, ज्यूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)